क्रम-संख्या- 241 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2021

आश्विन 20, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग–2

संख्या 740/49-2–2021-5(419)-2007 टी0सी0–1

लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०–411

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा निर्मित और राज्यपाल द्वारा अनुमोदित उक्त मण्डल के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को शासित करने वाली निम्नलिखित विनियमावली, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है :–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा (तेईसवॉ संशोधन) विनियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा (तेईसवॉ संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 27 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 27 के उप विनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
विनियम संख्या 27 (3) "सहकारी समिति के अधीन पदों पर पदोन्नति चाहे पदों की एक ही श्रेणी के भीतर एक पदक्रम से दूसरे पदक्रम में हो या पदों की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी और कोई कर्मचारी जब तक की उसने उस पद पर जिससे पदोन्नति की जा रही है कम से कम तीन वर्ष की अवधि की निरन्तर सेवा पूर्ण न कर ली हो, अगले उच्चतर पदक्रम श्रेणी पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।"	**विनियम सख्या 27 (3)** सेवा मण्डल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के अधीन किसी पद पर पदोन्नति के मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :– (क) श्रेणी–4 से श्रेणी–3 के कर्मचारियों तथा श्रेणी–3 से श्रेणी–2 के कर्मचारियों के लिए अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी। (ख) श्रेणी–2 से श्रेणी–1 के कर्मचारियों के लिए या श्रेणी–1 के विभिन्न ग्रेड के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये योग्यता होगीः परन्तु यह कि सहकारी समिति का कोई कर्मचारी, अगले उच्चतर ग्रेड या श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपने द्वारा धारित पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि की निरन्तर सेवा पूर्ण न कर ली हो। (ग) किसी कर्मचारी की पदोन्नति के समय पूर्ववर्ती न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की चरित्र पंजी पर विचार किया जायेगा। चरित्र पंजी का मूल्यांकन करने के पश्चात् अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें :–

क्र0 सं0	अवधि	प्रदत्त अंक
1	2	3
1	12 माह की उत्कृष्ट प्रविष्टि हेतु	10 अंक
2	12 माह की अति उत्तम प्रविष्टि हेतु	08 अंक
3	12 माह की उत्तम प्रविष्टि हेतु	05 अंक
4	12 माह की संतोषजनक प्रविष्टि हेतु	02 अंक
5	12 माह की प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु	05 अंक घटाये जायेंगे
6	निलम्बन अवधि	कोई अंक नहीं किन्तु औसत मूल्यांकन किया जायेगा।
7	03 माह से कम अवधि की प्रविष्टि हेतु	कोई अंक नहीं। प्रविष्टि अप्राप्त मानी जायेगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
	किसी वर्ष के मध्य यदि कुछ माह की प्रविष्टि अपूर्ण हो या न लिखी गई हो तो किसी कर्मचारी की चरित्र पंजी का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :–
	प्राप्तांक X प्रविष्टि लिखी जाने वाली माहों की संख्या
	जहां कोई प्रतिकूल रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम–5 के अनुसार संसूचित न की गयी हो अथवा किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन का निस्तारण नियम–4 के अनुसार न किया गया हो वहाँ ऐसी रिपोर्ट ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझी जायेगी।
	मूल्यांकन, दशमलव के दो अंक तक गणितीय सिद्धान्तों के अनुसार पूर्णांकित करते हुए किया जायेगा।
	80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कर्मचारी पदोन्नति हेतु उपयुक्त होंगे।
	चयन समिति रिक्तियों के अनुसार 80 प्रतिशत निर्धारित कट आफ अंक के आधार पर वर्गीकृत कर्मचारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में 80 प्रतिशत निर्धारित अंक को 60 प्रतिशत तक घटाने के लिए सक्षम होगी।

आज्ञा से,
बी0 एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 740 /XLIX-2–2021-5(419)-2007 T.C-1, dated October 12, 2021 :

No. 740 /XLIX-2–2021-5(419)-2007 T.C-1

Dated Lucknow, October 12, 2021

THE following regulations governing recruitment and condition of service of the employees of the Co-operative Societies in Uttar Pradesh falling within the purview of Uttar Pradesh Co-operative Institutional Service Board, framed under sub-section (1) of section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. XI of 1966) by the said Board and approved by the Governor are hereby published as required by sub-section (2) of section 122 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES EMPLOYEES SERVICE (TWENTY THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies Employees Service (Twenty Third Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of regulation 27

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Societies Employees Service Regulations, 1975 for sub-regulation (3) of regulation 27 set out in Column-I below, the sub-regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing sub-regulation	*Sub-regulation as hereby substituted*
(3) Promotion to the post under Co-operative society, whether from one grade to another, within the same category of the posts or from one category of the posts to another category, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit and an employee shall not be eligible for promotion to the next higher grade or category unless he/she has put in continuous service at least for a period of three years on the post from which his/her promotion is being made.	(3) The criteria for promotion to a post under co-operaive societies within the purview of Service Board shall be as follows :- (a) for the employees of category-4 to category-3 and employees of category-3 to category-2 shall be seniority subject to the rejection of the unfit; (b) for the employees of category-2 to category-1 or within the various grade of category-1 shall be merit subject to the rejection of the unfit: Provided that an employees of a co-operative society shall not be eligible for promotion on the next higher grade or category unless he has put in continuous service for a minimum period of 3 years in the post held by him. (c) at the time of promotion of any employee the character roll pertaining to preceding minimum 3 years and maximum 10 years shall be considered. After valuation of character roll marks shall be granted as follows:

Sl. No.	Period	Granted Marks
1	Excellent of 12 months	10
2	Very Good of 12 months	08
3	Good of 12 months	05
4	Contented of 12 months	02
5	Adverse of 12 months	05 marks shall be deducted.
6	Suspension Period	Not given any marks but average evaluation is given

COLUMN-1 *Existing sub-regulation*	COLUMN-2 *Sub-regulation as hereby substituted*

7	For a period of less than 03 months	Not given any marks. Entry will be considered unreceived.

In between a year if some months entry is incomplete or not written, the valuation of character roll of an employee shall be done as below:–

Granted mark X No. of months entry is written 12

Where an adverse report is not communicated according to rule 05 of "Uttar Pradesh Government Servants (Disposal of Representation Against Adverse Annual Confidential Report and Alied Matters) Rule 1995" or a representation against an adverse report has not been disposed of in accordance with rule 4, such report shall not be treated adverse for the purpose of promotion of such employee.

Valuation shall be done according to mathematical theories up to two numbers of decimal in rounding off.

Such employees, obtraining 80 percent or more marks will be fit for promotion.

The selection committee shall be competent to reduce 80 per cent bench mark up to 60 percent, in the case of absence of categorized employees on the basis of 80 percent cut off bench marks according to vacancy.

By order,
B. L. MEENA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 471 राजपत्र–2021–(1077)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 सहकारिता–2021–(1078)–100 प्रतियाँ–((कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।